जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

क्रमांक: जविप्रा/स·स·/बीपीसी/2002/डी-347 दिनांक : 12/12/2002

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की बैठक 43वीं दिनांक 04/12/2002 का कार्यवाही विवरण ।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की बैठक सं० 43वीं दिनांक 04/12/2002 प्रातः/सायं 2:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

सदस्य सचिव (बीपीसी)
जविप्रा, जयपुर ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ-

1· निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2· श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक, जयपुर ।
3· श्री अशोक तंवर, विधायक, जयपुर ।
4· श्री राजेंद्र मावर, प्राधिकरण सदस्य, जविप्रा, जयपुर ।
5· निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6· वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
7· निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
8· निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।
9· अति· आयुक्त (भूमि) पूर्व/पश्चिम, जविप्रा, जयपुर ।
10· वरिष्ठ नगर नियोजक (एम·पी·) जविप्रा, जयपुर ।
11· वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)· जविप्रा, जयपुर ।
12· उपायुक्त जोन ·· ········ , जविप्रा, जयपुर ।
13· जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।
14· सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर ।
15· उप रजिस्ट्रार, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव (बीपीसी)
जविप्रा, जयपुर ।

<u>कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।</u>

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 43वी बैठक दिनांक 3-12-2002 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रकरणों पर ~~श्री~~ विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया:-

(1) विषय:- कालवाड रोड एवं निवारू रोड के बीच के सैक्टर प्लान में संशोधन किये जाने के संबंध में।

प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि निदेशक (आयोजना), समिति के सदस्य श्री अशोक तंवर एवं श्री राजेन्द्र मावर मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात् ही सैक्टर प्लान में संशोधन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जावें।

(2) विषय:- बस्सी सीतारामपुरा गृ.नि.स. समिति की योजना शताब्दी नगर, श्योपुर सांगानेर के संबंध में।

प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णया लिया गया कि मास्टर विकास योजना 2011 में प्रस्तावित प्लांटेशन कोरीडोर को यथावत रखा जावें तथा समिति द्वारा आवासीय क्षेत्रफल 74.06प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है जो कि काफी अधिक है। अत: सहकारी समिति से आवासीय क्षेत्रफल 60प्रतिशत रखते हुए संशोधित मानचित्र लिया जावें।

S.T.P.(BPC)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी ¤ले आउट प्लान¤ की दिनांक 4-12-2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये :-

1. पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना गणेश विहार द्वितीय के अनुमोदन के संबंध में ।
2. पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना गणेश नगर विस्तार के अनुमोदन के संबंध में ।
3. पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना गणेश विहार प्रथम के अनुमोदन के संबंध में ।

उपरोक्त पर विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

पथिक भवन गृ.नि.स.स. की गणेश विहार द्वितीय, गणेश नगर विस्तार एवं गणेश नगर प्रथम तीनो योजनाओं में समिति द्वारा कुछ भूखण्ड सरकारी भूमि पर भी काटे गये हैं । जोन द्वारा इन तीनो योजनाओं में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की समिति के विरूद्ध F.I.R. चौमू थाने में दर्ज करायी गयी है, इसलिए इन योजनाओं को विवाद निस्तारण के पश्चात ही विचार विमर्श हेतु समिति के समक्ष रखा जावें ।

वरिष्ठ नगर नियोजक ¤एम.पी.¤
जविप्रा, जयपुर ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 43वीं बैठक दिनांक 4-12-02
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : बजाज नगर हाउसिंग को-आपरेटिव
2. योजना का नाम : हिम्मत नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर A-1 :

विषय:- बजाज नगर हाउसिंग को-आपरेटिव को योजना हिम्मत नगर में भू.सं. के-29 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के संबंध में ।

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भू.सं. के -29 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त नहीं किया जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..43वीं.....बैठक दिनांक....4-12-02.........
का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	:	हथरोई गढ़ी गृ.नि.स.स.
2.	योजना का नाम	:	सरस्वती नगर
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	:	
4.	सैक्टर नंबर B-4	:	

विषय:- हथरोई गढ़ी गृ.नि.स.स. की योजना सरस्वती नगर के अनुमोदन के संबंध में ।

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । इस योजना में कुछ भूखण्डों के संबंध में वाद न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि न्यायालय के निर्णय होने तक प्रकरण को स्थगित रखा जावे ।

[signature]

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..43वीं....बैठक दिनांक...4-12-02.........
का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	: लक्ष्मी गृ.नि.स.स.
2.	योजना का नाम	: हिल व्यू एन्कलेव
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	: खो रेबारियान, ख.नं. 81 से 87
4.	सैक्टर नंबर C-2	:

विषय:- लक्ष्मी गृ.नि.स.स. की योजना हिल व्यू एन्कलेव ख.नं. 81 से 87 ग्राम खो रेबारियान के योजना अनुमोदन के संबंध में ।

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । योजना में कुछ भूखण्डों में से हाईटेन्शन लाइन गुजर रही है । विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया ।

1- हाईटेन्शन लाइन के नीचे आने वाले भूखण्डों को नियमन हाईटेन्शन लाइन हटने के पश्चात् ही किया जावे ।

2- समिति की योजना की भूमि के अतिक्रमण को सहकारी समिति स्वयं अपने स्तर से हटवायेगी ।

3- कोम्यूनिटी सेन्टर व इसके पास के सुविधा क्षेत्र हेतु दर्शायी भूमि को पार्क हेतु दर्शाया जावे ।

4- भू.सं. 12 के पूर्व में इस भूखण्ड से लगती हुई एक-एक दुकान को अस्वीकृत किया जावे ।

5- दुकान संख्या 1 से 6 के सामने 15-0" चौड़ा पार्किंग क्षेत्र दर्शाया जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 43वीं बैठक दिनांक 4-12-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : फोरेस्ट व्यू हाउसिंग को0 ओ0 सो0 लि0
2. योजना का नाम : गोविन्द नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर B-4 :

विषय:- फोरेस्ट व्यू हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि0 जयपुर की योजना गोविन्द नगर के अनुमोदन के संबंध में ।

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । एयर पोर्ट एरिया डवलपमेन्ट प्लान के अनुसार योजना में से एक 160-0" चौड़ी सड़क गुजर रही है इसलिए समिति ने विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि सहकारी समिति से सेक्टर रोड़ दर्शाते हुए संशोधित योजना मानचित्र लिये जावे तथा सेक्टर रोड़ बनाने के संबंध में तुरन्त कार्यवाही की जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...43वीं...बैठक दिनांक...4-12-02...
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : शंकर भवन गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : कैलाशपुरी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर B-2 :

विषय:- शंकर भवन गृ.नि.स.स. की योजना कैलाशपुरी को 60-0" चौड़ी सड़क के संशोधन के संबंध में ।

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । मौके पर सड़क की चौड़ाई करीब 30-0" ही है । कैलाशपुरी योजना व शिव कॉलोनी द्वितीय बी योजनाओं में हाईटेन्शन लाइन में एक साइड में 20 फीट तथा दूसरी साइड में 10-0" भूमि 60-0" चौड़ी सड़क हेतु भूमि लिये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया था । शिव कालोनी ।।बी के आगे योजना 2बी शिव कॉलोनी द्वितीय है, जिसमें जोनल कमेटी ने हाईटेन्शन लाइन को केन्द्र बिन्दु मानते हुए दोनों साइडों के भूखण्डों में से 15-15 फीट भूमि लिये जाने के पश्चात् 60-0" चौड़ी सड़क रखते हुए योजना स्वीकृत की गयी थी । बैठक में कैलाशपुरी विकास समिति के पदाधिकारी भी उपस्थित हुए उन्होंने बैठक में हाईटेन्शन लाइन को केन्द्र बिन्दु मानते हुए दोनों साइडों के भूखण्डों में से 60-0" फीट चौड़ी स सड़क हेतु 15-15 फीट भूमि कम करते हुए नियमन करने हेतु समिति से निवेदन किया तथा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया । जिसमें लिखा था कि यदि हाईटेन्शन लाइन को केन्द्र बिन्दु मानकर दोनों साइडों से 15-15 फीट भूमि ली जाकर भूखण्डों का नियमन किया जाता है तो इस योजना के भूखण्डधारी 60-0" चौड़ी सड़क में आने वाली भूमि से अपना कब्जा हटा लेंगे । समिति ने विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि यदि इस योजना के सभी भूखण्डधारी उपरोक्तानुसार दोनों साइडों से कब्जा हटाकर सड़क की चौड़ाई 60-0" कर देते है तो हाईटेन्शन लाइन को केन्द्र मानते हुए 60-0" सड़क के पश्चात् शेष क्षेत्रफल का नियमन दोनों साइडों के भूखण्डों का कर दिया जावे ।

[signature]

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 43वीं बैठक दिनांक 4-12-02 का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	:	तोपखाना देश गृ.नि.स.स.
2.	योजना का नाम	:	कनिष्ट कॉलोनी के भू.सं. 3 व 3ए
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	:	
4.	सैक्टर नंबर B-4	:	

विषय:- तोपखाना देश गृ.नि.स.स. को अनुमोदित योजना कनिष्ट कॉलोनी के भू.सं. 3 व 3ए को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के संबंध में ।

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में सुनवाई हेतु प्रार्थी को बैठक में उपस्थित होने हेतु सूचित किया जावे तथा सुविधा क्षेत्र में कम्पाउण्ड वॉल बनवाये जावे जिसमें मुख्य टोंक रोड़ पर गेट लगाया जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 43वीं बैठक दिनांक 4-12-02 का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	:	राजहंस गृ.नि.स.स.
2.	योजना का नाम	:	कैलाशपुरी
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	:	
4.	सैक्टर नंबर B-1	:	

विषयः- राजहंस गृ.नि.स.स. को योजना कैलाशपुरी योजना में 60-0" चौड़ी सड़क को कम करने के संबंध में ।

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि सड़क को चौड़ाई 60-0" से कम नहीं की जावे ।

[signature]

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 43वीं बैठक दिनांक 4-12-02 का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	हसनपुरा ए गृ.नि.स.स.
2.	योजना का नाम	: विनायक विहार
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	:
4.	सैक्टर नंबर C-2	:

विषय:- हसनपुरा ए गृ.नि.स.स. की योजना विनायक विहार के अनुमोदन के संबंध में ।

जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । मिटिंग के निर्णयानुसार सहकारी समिति ने संशोधित योजना मानचित्र जोन में प्रस्तुत किये गये थे । समिति ने योजना मानचित्र का अवलोकन किया । सहकारी समिति ने 40-0" चौड़ी सड़क को संशोधित योजना मानचित्र में 60-0" चौड़ी सड़क कर दी किन्तु संशोधित मानचित्र में सुविधा क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया गया है । समिति ने विचार-विमर्श दौरान ये माना, कि सुविधा क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन करने में सहकारी समिति को व्यावहारिक कठिनाई है इसलिए सुविधा क्षेत्र को उसी स्थान पर रखे जावे तथा संशोधित योजना मानचित्र को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया । उपायुक्त जोन नियमन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि संशोधित योजना मानचित्र में दर्शायी सड़कों की चौड़ाई में आने वाली कम्पाउण्ड वॉल को सहकारी समिति स्वयं अपने स्तर से हटावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...43वीं...बैठक दिनांक...4-12-02...
का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	:	महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.
2.	योजना का नाम	:	पूजा टाउन
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	:	
4.	सैक्टर नंबर C-2	:	

विषय:- महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. की योजना पूजा टाउन के अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा सीधे ही समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

1- हाईटेन्शन लाइन के नीचे आने वाले भूखण्डों का नियमन हाईटेन्शन लाइन को हटने के पश्चात् ही नियमन किया जावे।

2- मौके पर व सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में सड़क की चौड़ाई में अन्तर है इसलिए उपायुक्त जोन यह सुनिश्चित करे कि प्रस्तावित योजना मानचित्र के अनुसार सड़क में जो कम्पाउण्ड वॉल बनी हुई है उसे सहकारी समिति द्वारा हटाये जाने के पश्चात् ही नियमन किया जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 43वीं बैठक दिनांक 4-12-02
का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	:	लक्ष्मी नगर गृ.नि.स.स.
2.	योजना का नाम	:	स्कीम नं. 12, गंगाधर नगर
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	:	
4.	सैक्टर नंबर B-4	:	

विषय:- लक्ष्मी नगर गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नं. 12, गंगाधर नगर के अनुमोदन के संबंध में ।

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । समिति ने योजना में 64-91% आवासीय क्षेत्रफल दर्शाया है तथा एयर पोर्ट डवलपमेन्ट प्लान के अनुसार सेक्टर रोड़ नहीं दर्शायी है इसलिए डवलपमेन्ट प्लान के अनुसार सेक्टर रोड़ तथा सुविधा क्षेत्र दर्शाते हुए सहकारी समिति से संशोधित योजना मानचित्र लिया जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....43वीं बैठक दिनांक 4-12-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

विषय:- सेक्टर 30 अनुमोदन के संबंध में ।

जोन द्वारा समिति के समक्ष सेक्टर प्लान अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया । विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार सेक्टर प्लान को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ~~[illegible]~~ डूंडी रेल्वे फाटक से 160-0" चौड़ी सड़क रोहिणी नगर में से गुजर रही है किन्तु रोहिणी नगर में ~~इस~~ 160-0" प्रस्तावित सड़क में अनेक मकान बने हुए है इसलिए इस सड़क को रोहिणी नगर के पहले से महल रोड़ में मिलाया जावे ।

2- सेक्टर प्लान में जोन द्वारा रीको को भूमि दर्शाकर सुविधानुसार रीको की भूमि के साथ सेक्टर रोड़ दर्शाया जावे ।

3. इस सेक्टर प्लानके पूर्व दिशाकी ओर का क्षेत्र भी शहरी विकास हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है। इसे ध्यानमें रखते हुवे अगर आवश्यक हो तो सेक्टर प्लानमें और सेक्टर प्लान स्तरकी सड़कें प्रस्तावित की जाएगी.

[signature]

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की 43वीं बैठक दिनांक 4-12-2002 को अपरान्ह् 2.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री अशोक तंवर, विधायक — सदस्य
2. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य — सदस्य
3. श्री हेमन्त गेरा, सचिव, जविप्रा,जयपुर। — सदस्य
4. श्री एस.सी.महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा,जयपुर। — सदस्य
5. श्रीमती शुचि शर्मा, अति.आयुक्त(भूमि)पूर्व, जविप्रा,जयपुर। — सदस्य
6. श्री ओ.पी.यादव, अति.आयुक्त(भूमि)पश्चिम,जविप्रा,जयपुर। — सदस्य
7. श्री ए.एन.भार्गव,वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) — सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,
2. श्रीमती लवंग शर्मा,वरिष्ट नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
3. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक(बीपीसी)जविप्रा,जयपुर।
4. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।
5. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
6. श्रीमती आशा अवस्थी, उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
7. श्री रमेश चन्द शर्मा, उपायुक्त जोन बी-4, जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती सुषमा अरोडा, उपायुक्त जोन सी-1, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री भीमा राम चौधरी, उपायुक्त जोन सी-2, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, सहायक नगर नियोजक, जोन सी-1,जविप्रा,जयपुर।